"गंगमूल"

रजि न0 35 केएच दिनांक 30/01/1984

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

(आईएसओ 22000–2018 एण्ड एचएसीसीपी प्रमाणित संस्थान)

किराया पर सरस पार्लर आवंटन सूचना

सरस डेयरी हनुमानगढ़ द्वारा जोड़कियां रेलवे फाटक के पास, हनुमानगढ़ जं0 एवं दुग्ध अवशीतन केन्द्र सूरतगढ़ में निर्मित सरस पार्लर 2 वर्ष हेतु किराया पर आवंटित किया जाना है, जिस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन प्रपत्र मय शर्तें किसी भी कार्य दिवस पर संघ कार्यालय से कार्यालय समय में आवेदन शुल्क 590 रूपये जमा करवाकर **दिनांक 07.02.2026** को दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि उसी दिन पूर्ण भरे हुए आवेदन प्रपत्र सांय 4 बजे तक हनुमानगढ़ जं0 स्थित संघ कार्यालय में जमा करवाए जा सकेंगे। इसके साथ–साथ संघ को अपने उत्पादों मिठाई, पनीर, खीर इत्यादि के लिए हनुमानगढ़ क्षेत्र जंक्शन व टाउन के लिए वितरक की आवश्यक्ता है। इच्छुक व्यक्ति/पार्टी हनुमानगढ़ जं0 व टाउन क्षेत्र के लिए वितरकशिप के आवेदन भी संघ कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:– 83878–70308, 77260–07333

(उग्रसेन सहारण)
प्रबन्ध संचालक

क्रमांक/गंगमूल/विपणन/2026/12095-97 दिनांकः– 31.01.2026

प्रतिलिपीः–

1. सम्पादक ....को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आप अपने दैनिक हिन्दी पत्रिका में .... स्थान में शीघ्रातिशीघ्र एक बार संघ के लोगो सहित प्रकाशित करें।
2. प्रभारी एमआईएस– कृपया संघ की वेबसाइट/एसपीपी पोर्टल व http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवायें।
3. प्रभारी लेखा/दु0अ0केन्द्र सूरतगढ़/अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक/नोटिस बोर्ड।

प्रबन्ध संचालक

औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ़ जं0–335512 (राज0), दूरभाष–01552–260588, 244288, E-mail:- mktgangmul@gmail.com

आवेदन प्रपत्र कमांक ....

सरस पार्लर, सूरतगढ़/हनुमानगढ़ के आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र (शुल्क 590/– रू0)

स्वयं हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो

1. फर्म का नाम :– ....
2. स्थाई पता :– ....
3. पत्र व्यवहार का पताः– ....
4. मोबाइल नं0 :– ....
5. ईमेल आईडी :– ....
6. जीएसटी नं0 :– .... छाया प्रति संलग्न करें
7. पैन नं0 :– .... छाया प्रति संलग्न करें
8. फूड लाईसेंस नं0 :– .... छाया प्रति संलग्न करें
9. आयकर विवरणिकाः– ....
10. कार्य अनुभव (विवरण) ....

....

11. आवेदन पत्र के साथ रूपए 20 हजार का डीडी जो कि संघ के नाम देय हो या नेफ्ट/आरटीजीएस अथवा डिजीटल प्रणाली द्वारा संघ खाता में जमा करवाई गई राशि की रसीद संलग्न करनी होगी।

12. सफल आवेदनकर्ता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व **30 माह** की अवधि हेतु संघ में धरोहर राशि (नगद/बैंक गांरटी/एफडीआर/सीडीआर के रूप में) जमा करवानी होगी।

समस्त शर्तें एवं अन्य सभी नियम मैनें पढ़ लिये हैं जो कि मुझे मान्य हैं। संलग्न शर्तों के समस्त पृष्ठों पर मैनें हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर आवेदक

D:\Soni\Parlour-2026

आवेदन प्रपत्र कमांक ....

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,हनुमानगढ़ ज0–335512

आवश्यक दिशा–निर्देश

1. चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा।
2. आवेदक को पहचान के रुप में स्वयं की एक नवीनतम फोटो, फोटो पहचान पत्र तथा आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
3. आवंटी को 500 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संघ के साथ अनुबन्ध करना होगा एव निर्धारित शुल्क जमा करवाकर संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा।
4. पार्लर आवंटन हेतु चयनित होने के आदेश के पश्चात चयन आदेश में वर्णित समयावधि में निर्धारित राशि नगद/बैंक गांरटी/एफडीआर/सीडीआर के रूप में जमा करवानी होगी व संघ के साथ अनुबंध करने में विफल रहने पर चयनित आवंटी का चयन निरस्त कर अन्य को पार्लर आवंटन करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।
5. आवंटी को अपने जीएसटी नम्बर/ पैन नम्बर की छायाप्रति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संघ कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी।
6. किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार संघ प्रबन्ध संचालक को होगा। अनुभवी को प्राथमिकता दी जावेगी।

हस्ताक्षर आवेदक

आवेदन प्रपत्र कमांक ....

निविदा शर्तें

1. पार्लर संचालक को निर्धारित धरोहर राशी संघ में जमा करवानी होगी। धरोहर राशि पर संघ द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। धरोहर राशि आवश्यक्तानुसार बढ़ाने/घटाने का अधिकार संघ को होगा। यदि धरोहर राशि बढ़ाई जाती है तो बढ़ी हुई राशि को पार्लर संचालक को निर्धारित अवधि में संघ कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा।
2. पार्लर संचालक को द्विपक्षीय वार्ता में निर्धारित हुए स्थान को ही सरस पार्लर हेतु उपयोग में लेना होगा एवं संघ की अनुमति के बिना पार्लर में तोड़फोड अथवा नया निर्माण नहीं किया जावेगा तथा उक्त स्थान का अन्य किसी प्रतिबंधित कार्य हेतु उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
3. पार्लर संचालक द्वारा खाद्य उत्पाद बिकी हेतु स्वयं के नाम से खाद्य सुरक्षा पंजीकरण/लाईसेंस लिया जाना अनिवार्य होगा एवं समस्त वैधानिक जिम्मेदारी संचालक की होगी।
4. पार्लर संचालक को रेस्टोरेंट चलाने का अनुभव होना चाहिए।
5. सरस पार्लर पर सरस के समस्त उत्पाद तथा सरस पनीर से निर्मित पनीर पकौड़ा, समौसा व जलेबी की बिक्री करनी होगी। संघ की अनुमति से सरस उत्पादों के अतिरिक्त पीजा, पैटीज, कॉफी, चाय (चाय, कॉफी डिस्पेंसर के द्वारा) सेण्डविच एवं पैक्ड नाश्ता भी उपलब्ध करवाया जा सकता है, जिसकी गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डानुसार होनी चाहिए। यदि किसी सक्षम एजेन्सी द्वारा इन उत्पादों का सैम्पल लिया जाता है/निरीक्षण किया जाता है तो उन परिस्थितियों में गुणवत्ता/वैधानिक कार्यवाही संबंधी समस्त जिम्मेदारी संचालक की होगी। किसी अन्य ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध उत्पाद को रखने/बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शर्त का उल्लंघन करने पर संचालक पर विवेकानुसार शास्ति आरोपित करने अथवा आवंटन निरस्त करने का अधिकार संघ प्रबंध संचालक को होगा।
6. **हनुमानगढ़ पार्लर हेतु बैंक गारंटी 5 लाख रूपए** एवं **सूरतगढ़ पार्लर हेतु बैंक गारंटी 5 लाख रूपए** निर्धारित होगी। हनुमानगढ़ एवं सूरतगढ़ पार्लर का किराया 8 हजार रूपए प्रतिमाह निर्धारित होगा।
7. सरस पार्लर का आवंटन 2 वर्ष हेतु किया जावेगा। अनुबंध अवधि कार्य प्रारम्भ करने से **2 वर्ष** की होगी परन्तु विशेष परिस्थितियों में वर्तमान अनुबंध शर्तों पर ठेका अवधि **3 माह** तक आगे बढ़ाई जा सकेगी जो अनुबंधकर्ता को मान्य होगी। दोनों पक्षों की सहमती से अनुबंध अवधि कुल **6 माह** हेतु बढ़ाई जा सकेगी। ऐसी स्थिती में संघ में जमा धरोहर राशि भी आगामी अवधि तक मान्य होगी।
8. सरस पार्लर आवंटन के समय से पार्लर का संचालन निर्धारित दैनिक समय सारणी के अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
9. सरस पार्लर हेतु संचालक को डिस्पले रैक्स का निर्माण अपने स्तर पर करना होगा। सामान की उपलब्धता स्थान के क्षेत्रफल एवं संभावित बिक्री की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तय की जावेगी।
10. सरस पार्लर हेतु चेस्ट कूलर (दूध एवं अन्य उत्पाद के लिए), सोफ्टी मशीन, कॉफी डिस्पेंसर आदि की व्यवस्था संघ करेगा व अनुबंध समाप्ति पर चालू हालत में संघ को सुपुर्द करना होगा।
11. उत्पादों का विकय मूल्य समय समय पर संघ द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी पालना संचालक को करनी होगी। साथ ही उत्पादों की मूल्य सूची भी पार्लर पर लगाना अनिवार्य होगा। निर्धारित मूल्य से अधिक पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद बेचने संबंधी जानकारी संघ को प्राप्त होने पर संघ द्वारा संचालक पर विवेकानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी एवं इस प्रकार की शिकायत की पुनरावृति होने पर पार्लर आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिती में संघ द्वारा कोई भी क्षतिपूर्ति/मुआवजा संचालक को देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

आवेदन प्रपत्र कमांक ....

12. संचालक को सरस दूध एवं ताजा दुग्ध उत्पाद मांग के अनुसार नकद भुगतान पर शॉप एजेन्सी दर पर परिवहन ठेकेदार के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध करवाये जावेंगे।
13. संचालक को सरस घी एवं अन्य लोंग लाईफ उत्पाद संघ से अग्रिम भुगतान पर ही प्राप्त करने होंगे।
14. संघ द्वारा वितरित किये गये दूध एवं दुग्ध उत्पादों के रूप/गुणवत्ता आदि में संचालक द्वारा किसी प्रकार की छेड़छाड़ या मिलावट किया जाना पाए जाने पर पार्लर का आवंटन तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जावेगा एवं इस कारण होने वाली किसी भी हानि/वैधानिक कार्यवाही के लिए संचालक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस हेतु संघ का किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा।
15. सामान्य परिस्थिती में वितरित सरस उत्पाद संघ द्वारा वापिस नहीं लिये जावेंगे।
16. सरस उत्पाद एवं अनुमत अन्य उत्पाद (यथा बिन्दु सं0 5 में वर्णित) के अतिरिक्त अन्य खाद्य उत्पाद जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स तथा बीड़ी, सिगरेट, गुटका आदि सरस पार्लर में रखने की इजाजत नहीं होगी। शर्त का उल्लघंन करने पर शास्ति आरोपित करने/पार्लर आवंटन निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा।
17. यदि सरस पार्लर का संचालन निर्धारित मापदण्डो के अनुसार नहीं हो रहा हो तथा वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हों तो बिना कारण बताये सरस पार्लर का आवंटन निरस्त किया जा सकता है अथवा ऐसी स्थिती में विवेकानुसार शास्ति आरोपित करने का अधिकार संघ को होगा।
18. सरस पार्लर का आवंटन अहस्तान्तरणीय होगा।
19. संघ द्वारा लगाई गई सभी प्रकार की शास्तियों/पैनल्टी आदि की बकाया राशि जमा करवाने में असफल रहने पर इसकी वसूली धरोहर राशि से करने का अधिकार संघ को होगा।
20. संचालक को पार्लर आवंटन होने पर संघ द्वारा निर्धारित 6 माह के पार्लर किराये का अग्रिम भुगतान करना होगा जो कि किसी भी स्थिति में वापिस देय नहीं होगा।
21. सरस पार्लर पर विक्रय किये जा रहे सरस उत्पादों एवम् अन्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच का अधिकार संघ कर्मियों को होगा जिसमें संचालक को सहयोग करना होगा।
22. संघ के अधिकारियों/कर्मचारीयों द्वारा विजिट के दौरान यदि संचालक या पार्लर स्टाफ द्वारा किसी प्रकार का अशोभनीय या अभद्र व्यवहार किया जाता है तो संचालक पर विवेकानुसार जुर्माना संघ द्वारा किया जा सकता है।
23. सरस दूध एवं दुग्ध उत्पाद के प्रचार–प्रसार एवं विज्ञापन संबंधी समस्त कार्य संघ द्वारा किया जावेगा। यदि संचालक कोई प्रचार अपने स्तर पर करना चाहता है तो संघ से विचार विमर्श कर योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। साथ ही प्रतिबंधित या अन्य उत्पादों का विज्ञापन नहीं कर सकेगा।
24. स्थानीय निकाय आदि को देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान पार्लर संचालक द्वारा ही किया जावेगा। संघ का स्थानीय निकायों को देय किसी भी प्रकार के शुल्क का कोई दायित्व नहीं होगा एवं सरकार द्वारा निर्धारित सभी तरह के टैक्स का भुगतान संचालक द्वारा किया जावेगा।
25. सरस पार्लर पर कार्यरत कर्मचारियों को संघ द्वारा निर्धारित वेशभूषा (नीली टी–शर्ट व सफेद कैप सरस लोगो सहित) पहननी होगी, जिसकी व्यवस्था संघ करेगा।
26. सरस पार्लर का कार्य करने हेतु वांछित संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने का दायित्व संचालक का होगा। कर्मचारियों का मुख्य नियोक्ता संचालक ही होगा एवं उनके वेतन/पीएफ/ईएसआई आदि का सम्पूर्ण दायित्व भी उसी का होगा।
27. पार्लर को विद्युत आपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी एवं इस हेतु सबमीटर की रीडिंग मान्य होगी एवं बिजली की प्रति यूनिट दर संघ की डीजी सैट एवं विद्युत विभाग की देय राशि का औसत आधार होगा। पार्लर का विद्युत व्यय प्रतिमाह जमा करवाना होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

आवेदन प्रपत्र कमांक ....

28. संघ के पास सरस पार्लर के आवंटन को 30 दिवस के नोटिस पर बिना कारण बताये समाप्त करने का अधिकार होगा। इसी प्रकार संचालक यदि स्वंय पार्लर संचालन छोड़ना चाहे तो संघ को 130 दिवस का लिखित नोटिस देकर छोड़ सकता है। दोनों परिस्थितियों में पार्लर संचालक को किसी तरह की क्षतिपूर्ति/मुआवजा देय नहीं होगा एवं संघ में अग्रिम जमा किराया राशि वापिस नहीं होगा।
29. संचालक को अनुबंध समाप्त होने/आवंटन निरस्त होने पर संघ कार्यालय एवं परिवहन ठेकेदार से कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र लेकर संघ में प्रस्तुत करने पर ही धरोहर राशी/बैंक गारण्टी/एफडीआर/सीडीआर लौटाई जावेगी।
30. संघ द्वारा उपलब्ध करवाये गये समस्त सामान पर संघ का ही मालिकाना हक रहेगा एवं संचालक को यह सामान सही स्थिती में संघ में जमा करवाना होगा। पार्लर के भवन एवं इसमें संघ द्वारा उपलब्ध करवाये गये अन्य सामान में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का पुनर्भरण संचालक की संघ में जमा धरोहर राशी/बैंक गारण्टी/एफडीआर/सीडीआर से करने का अधिकार संघ को होगा।
31. संचालक को सरस पार्लर पर कैशलेस भुगतान प्रणाली जैसे पीओएस मशीन की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।
32. यदि संचालक के किसी कार्य से संघ की प्रतिष्ठा/साख पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो पार्लर आवंटन निरस्त किया जा सकता है एवं शास्ती आरोपित की जा सकती है।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 500/– रूपये जुर्माना किया जा सकता है अथवा पार्लर आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है।

हस्ताक्षर आवेदक